न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 158/2015
पंजीयन दिनांक 13.08.2015

(1). फारूख मोहम्मद पिता फयाज मोहम्मद जाति मुसलमान लुहार मृतक के बजाय-

1/1 सुल्ताना पत्नी फारूख मोहम्मद जाति मुसलमान लुहार निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम 73 ग्रीन पार्क कॉलोनी इन्दोर मध्यप्रदेश।

(2). इकबाल हुसेन पिता हबीब हुसेन जाति मुसलमान लुहार निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). गुलाम रसूल पिता हबीब हुसेन जाति मुसलमान लुहार निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

-अपीलांट्गण/प्रतिवादीगण

बनाम

(1). रसीद मोहम्मद पिता रजा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ(राज0)।

(2). सलीम मोहम्मद पिता रजा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ(राज0)।

(3). बानो विधवा रजा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नीम के पास लुहार मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ(राज0)।

(4). उप पंजीयक , उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(5). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 115/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस-(1).सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).दिनेश दायमा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3
(3).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4 व 5

निर्णय **दिनांक 04.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र मे पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि मौजा मुंगा का खेड़ा तहसील गंगरार की साबिक आराजी संख्या 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 311 कुल किता 9 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रेकॉर्ड रही जिसके नवीन आराजी संख्या 305, 306, 307, 308, 309, 310 कुल किता 6 कुल रकबा 3.78 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमे रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता रजा मोहम्मद का नाम राजस्व कर्मचारियों ने अपने स्तर पर गलत अंकित कर दिया जबकि हबीब के तीनो पुत्र फयाज अहमद, इकबाल हुसैन, गुलाम रसूल के पिता का 1/2 हक व हिस्सा एवं रेस्पोडेन्टगण वादीगण सख्या 1 से 3 के पिता व पति रजा मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के वारिसान का 1/2 हक हिस्सा बनता है व इसी अनुसार जमाबंदी मे अंकन किया जाना चाहिए व जमाबंदी मे खातेदार का सही नाम दर्ज किया हुआ नहीं है और न ही पिता का नाम दर्ज है। वादपत्र की चरण सख्या 6 मे उल्लेखित कृषि भूमि किता 6 रकबा 3.78 हैक्टेयर जिसका इन्द्राज खाता संख्या 33 सम्वत 2066 से 2069 मे दर्ज है ,उसमे रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता रजा मोहम्मद की दिनांक 15.07.1993 को नगरपालिका क्षेत्र चित्तौड़गढ़ मे निवासरत रहते हुए मृत्यु हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 मौके पर 1/2 हक व हिस्से अनुसार काबिज है। जिससे 1/2 हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व उसी अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे पृथक-पृथक दर्ज किया जावे व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 की कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नहीं करे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गए। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावा व विशेष कथन प्रस्तुत किया। जवाबदावा व विशेष कथन प्रस्तुत होने के पश्चात उक्त पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्टगण नियत की गई। साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्टगण मे रसीद, चेना व चुना का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ जिसकी जिरह अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से की गई और दिनांक 13.10.2013 को साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्टगण बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांटगण मे विचाराधीन थी। दिनांक 09.10.2014 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी रूकेया पिता गुलाम रसूल की ओर से पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को दिलाई गई । दिनांक 26.12.2014 को जवाब प्राथना-पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 15.04.2015 को उक्त प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 29.04.2015 को प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली पुनः साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांटगण मे नियत की गई। उक्त पत्रावली मे साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांटगण लिए बगैर उक्त पत्रावली को 15.07.2015 को राजस्व लोक-अदालत कैम्प कोर्ट पुठोली मे नियत की गई व उक्त पत्रावली मे लोक-अदालत के तहत गुण।वगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1 से 3 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है व अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के कब्जे मे ही चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 ने वादपत्र मे पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है जिसको प्रमाणित करवाने का दायित्व रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 का बनता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे के साथ विशेष कथन प्रस्तुत किया गया जिसमे निवेदन किया गया कि नूर मोहम्मद के दो पुत्र हबीब व रजा उर्फ रजाक मोहम्मद थै । रजा उर्फ रजाक मोहम्मद का जो भी हक व हिस्सा इस विवादित कृषि आराजीयात मे था, वह समस्त हक हिस्सा रजा उर्फ रजाक मोहम्मद ने अपने जीवनकाल मे ही विक्रय कर दिया। रजा उर्फ रजाक मोहम्मद ने जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 22.07.1974 को 7500 रूपये मे छोगालाल जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा को विक्रय कर कब्जा दे दिया है, इसी प्रकार रजा उर्फ रजाक मोहम्मद ने 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि मोडू पिता किशना लोदा निवासी मुंगा का खेड़ा को विक्रय कर दी। मोडू ने रजा उर्फ रजाक मोहम्मद से जो जमीन खरीदी वह जमीन लच्छीबाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किशना भोई को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। उक्त विक्रय पत्र के 12.05.2000 को लच्छीबाई के पक्ष मे निष्पादित हुआ है । विशेष कथन मे यह भी अंकित किया कि मोडू ने घोषणात्मक डिक्री का दावा किया उसमे तय हो चुका है कि रजा उर्फ रजाक मोहम्मद का संपूर्ण हिस्सा विक्रय हो चुका है। दिनांक 22.06.1980 को रजा उर्फ रजाक मोहम्मद ने मोडू के पक्ष मे विक्रय-पत्र निष्पादित करवाया जिसका पंजीयन दिनांक 24.06.1980 को हुआ । उसके बाद रजा उर्फ रजाक मोहम्मद का कोई हक हिस्सा व अधिकार उक्त कृषि आराजीयात मे नही रहा है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बहैसियत खातेदार काश्तकार होकर शांतिपूर्वक रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 व आमजन की जानकारी मे काबिज चले आ रहे है। उक्त जवाबदावे व विशेष कथन के पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2012 को उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात विरचित की गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण नियत की गई। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण नियत की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 15.05.2015 तक साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण मे विचाराधीन थी । साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण बन्द किये बगैर उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना साक्ष्य बन्द किये, बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक-अदालत मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 वादीगण व अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के दादा नूर मोहम्मद की होकर पैतृक कृषि आरार्जीयात है जिसमे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व पति रजा उर्फ रजाक मोहम्मद का 1/2 हक व हिस्सा बनता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है, कि रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 का उक्त कृषि आराजीयात मे 1/2 हक व हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। अपने वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि रजा मोहम्मद की 5.07.1993 को नगरपालिका क्षेत्र चित्तौड़गढ़ मे निवासरत रहते हुए मृत्यु हुई है जिससे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा के साथ प्रस्तुत विशेष कथन मे अंकित किया कि उक्त कृषि आराजीयात मे से रजा मोहम्मद ने अपने हिस्से की कृषि आराजीयात जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 22.07.1974 व दिनांक 30.06.1980 से अलग-अलग विक्रय-पत्रों से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा विक्रय कर दिया है जो किसी भी रूप मे प्रमाणित नहीं हुआ है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है जो विधि सम्मत होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1 से 3 ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध मौरूसी जायदाद मे हक व हिस्से की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं के अभिवचनो के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2012 को तनकीयात विरचित की गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण नियत की गई। साक्ष्य वादी पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

त की गई । पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण मे विचाराधीन थी । बिना साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट्गण लिए व बिना साक्ष्य बन्द किये उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प-कोर्ट पुठोली मे नियत की गई व बिना किसी लिखित राजीनामे के उक्त पत्रावली मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाना पाया जाता है जो लोक-अदालत की मंशा के विपरीत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 115/2010 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए अजसरे, तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 08.09.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़